राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
Telefax:0141–2222403 E-mail-dlbrajasthan@gmail.com web: www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःपीआरओ/डीएलबी/2018/ 3156 दिनांकः 19/2/2018

M/s Proactive In & Out Advertising Ltd.
Samkeet Apartments, 'B' Wing, 3rd Floor,
Sant Janabai Marg, Off. Hanuman Board,
Vile Parle (East), Mumbai-400057

विषयः– राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा नगरीय क्षेत्रों में संचालित बसों के साईड पैनल्स पर DAVP द्वारा निर्धारित दरों पर स्वच्छ भारत मिशन के विज्ञापन प्रदर्शन हेतु कार्यादेश के संबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा नगरीय क्षेत्रों में संलग्न सूची के अनुसार 1000 जनरल बसों के साईड पैनल्स पर DAVP द्वारा निर्धारित दरों पर मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) के अन्तर्गत आमजन में जागरूकता पैदा करने एवं प्रचार–प्रसार हेतु विज्ञापन का प्रदर्शन कराया जाना है।

Directorate of Advertising & Visual Publicity (Ministry of Information & Broadcasting) New Delhi द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1/25/14–15/OP-II दिनांक 31.01.2018 द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की 2500 जनरल बसों पर विज्ञापन प्रदर्शन हेतु आपकी फर्म को दिनांक 31.03.2018 तक अधिकृत किया जाकर प्रतिमाह निम्नानुसार दरें निर्धारित की गई हैः–

Media/ Location	Display Size (ft)	Qty.	Approved Rate*	Validity
General Buses of RSRTC, Rajasthan	Driver Side Panel - 14' X 2'	2500	Rs. 1400/- per panel per month	Upto 31.03.2018
	Conductor Side Panel of Size 14' X 2'	2500		

- Vinyl printing charges extra at prevailing DAVP rate i.e. Rs. 16/- per sqft.
- Panel fixing charge extra at prevailing DAVP rate i.e. Rs. 100/- per Panel one time.
- GST extra, as applicable.

उपरोक्तानुसार DAVP में सूचीबद्ध आपकी फर्म द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 09.02.2018 को विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाता है। आप उक्तानुसार सलंग्न अनुमोदित डिजाईन के अनुसार DAVP दरों पर दिनांक 31.03.2018 तक निम्न शर्तो के अध्याधीन संलग्न सूची के अनुसार 5 दिवस में कार्य सम्पादित करेंः–

1. प्रस्तावित विज्ञापन प्रदर्शन हेतु DAVP द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन एवं शर्ते लागू होगी।
2. विनायल पेस्टिंग/फिक्सिंग के कार्य में प्रिन्टिंग का कार्य स्पष्ट एवं अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए एवं पेस्टिंग/फिक्सिंग में कोई सलवट इत्यादि नहीं होनी चाहिए।

3. बसों पर लगाये गये विनायल का भौतिक सत्यापन का प्रमाण पत्र संबंधित क्षेत्र के डिपो के प्रबंधक (संचालन) से प्रमाणित कराकर प्रत्येक बस के फोटोग्राफ मय दिनांक एवं लोकेशन फर्म दस्तावेज सहित भुगतान हेतु बिल निदेशालय में प्रस्तुत करेगी।
4. कार्य को निर्धारित समयावधि में किया जाना होगा। कार्यादेश प्राप्ति के पॉच दिवस में कार्य सम्पादित किया जावेगा तथा अनुमोदित डिजाईन में परिवर्तन होने की स्थिति में फर्म को लिखे गये पत्र के 5 दिवस में आवश्यक रूप से कार्य सम्पादित किया जाना होगा।
5. कार्य में देरी की स्थिति में नियमानुसार शास्ति आरोपित की जावेगी।
6. कार्य की मात्रा/अवधि नियमानुसार घटाई/बढ़ाई जा सकेगी, जिसके लिए निदेशक अधिकृत होंगे। उक्त कार्य के दौरान 3rd Party की Risk एवं Liability स्वयं फर्म की रहेगी।
7. RTPP Act /Rule 2013 में समस्त प्रावधान लागू रहेंगे।
8. विवाद की स्थिति में निदेशक महोदय का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
9. न्यायिक क्षेत्र जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकःपीआरओ/डीएलबी/2018/3157-65 दिनांकः 18/2/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
6. मुख्य लेखाधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
8. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिकाएं समस्त राजस्थान।

9 CMAR ...

जनसम्पर्क अधिकारी
18/2